न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–76 सन् 2014

कन्हैया सिंह.....वादी।

बनाम

ब्रजकिशोर सिंह वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 07.06.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.04.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 01 ता 08 ने अपने द्वारा दिनांक 01.04.2014 को जो बयान तहरीरी दाखिल किया है जिसके पाराग्राफ नं0 13 में यह बयान किया है कि तकरारी खेसरा नं0 1128 रामजी सिंह की हिस्से की भूमि लिखवा चुके हैं। इसलिए पुनः दिनांक 22.11.2004 को रामजी सिंह द्वारा लिखा गया वादी का बैनामा गलत है। प्रतिवादी ने जो तकरारी प्लॉट को खरीदने का दावा किया। वस्तुतः वह प्लॉट न खरीदकर प्रतिवादी ने प्लॉट नं0 1168 खरीदा जिसे बेच दिया है। जिसकी जानकारी वादी को हुई तो वादी ने उक्त दोनों बैनामा दिनांक 28.11.2007 वो 13.04. 2006 की सच्ची प्रतिलिपि दिनांक 04.03.2022 वो 08.03.2022 को प्राप्त किया जिसे वादी दाखिल कर रहा है। जिसे न्यायहित में साक्ष्य में ग्राह्य करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उक्त दोनों बैनामा दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि लोक दस्तावेज है उसे सही न्याय करने हेतु साक्ष्य में ग्राह्य करने की आदेश देने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 23.05.2022 को दाखिल कर कथन है कि जिस उनवान वो बयान के साथ वादी ने आवेदन दाखिल किया है वह कानूनन चलने योग्य नहीं है। वादी के आवेदन के कंडिका 1 में प्रतिवादी के बयान तहरीरी के कंडिका 13 का जिक्र किए हैं जिससे कहते है कि प्रतिवादी सं0 01 ता 08 ने अपने द्वारा दिनांक 1. 04.2014 को बयान तहरीरी दाखिल किया है जिसके पाराग्राफ 13 में बयान किया है कि तकरारी खेसरा नं0 1126 रामजी सिंह कि हिस्से की भूमि लिखवा चुके हैं इसलिए पुनः 22.11.2004 को रामजी सिंह द्वारा लिखा गया वादी का बैनामा गलत है। वादी ने बयान तहरीरी के कंडिका 13 के कुल बातों का जिक्र नहीं किए हैं। प्रतिवादी के बयान तहरीरी के कंडिका 13 का अवलोकर

करने से स्पष्ट हो जाएगा। वादी के आवेदन का कंडिका 2 के अवलोकन करने से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वादी कहना क्या चाहते हैं। वादी ने आवेदन के कंडिका 2 में जिस प्लॉट नं0 1168 का जिक्र किए है वह प्लॉट नं0 1168 इस वाद के विषय वस्तु नहीं है। वादी ने वाद सिर्फ प्लॉट नं0 1128 पर लाये हैं। ऐसी स्थिति में वादी का आवेदन खारिज योग्य है। वाद फाईनल बहस पर चल रहा है। प्रतिवादीगण का बहस समाप्त हो चुका है। वादी वाद को विलंब करने के नियत से आवेदन दाखिल किए है। जबकि आवेदन में जिस प्लॉट 1168 का जिक्र किए हैं उस प्लॉट नं0 पर वाद नहीं चला रहा है। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल दिनांक 11.04.2022 का आवेदन साथ खर्चा के खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी बैनामा की सच्ची प्रतिलिपि को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि बैनामा दिनांक 28.11.2007 वो 13.04.2006 की सच्ची प्रतिलिपि दिनांक 04.03.2022 वो 08.03.2022 को प्राप्त किया है। उक्त दोनों दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। जिसे साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.04.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.....को वादी की ओर से बहस हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।